

सं. 40011/01/2014-बीसी-1

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

'ए' विंग, शास्त्री भवन

नई दिल्ली-110001

दिनांक 11.12.2017

सलाहपत्र

विषय: टीवी चैनलों पर विज्ञापनों का प्रसारण करते समय रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के बीच कंडोम के विज्ञापनों का प्रसारण

जबकि, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संज्ञान में यह लाया गया है कि कुछेक टीवी चैनल बारंबार कंडोम के विज्ञापनों का प्रसारण करते हैं जोकि कथित तौर पर विशेष रूप से बच्चों के लिए अशिष्ट होते हैं।

2. इस संबंध में टीवी चैनलों का ध्यान केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 के नियम 7(7) जिसमें विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "केबल सेवा में ऐसा कोई विज्ञापन नहीं लाया जाएगा जो बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता हो अथवा उनमें अलाभप्रद कार्यों के प्रति रुचि पैदा करता हो अथवा उन्हें भीख मांगते हुए अथवा अमर्यादित कार्य करते हुए अथवा अशोभनीय रूप में दर्शाता हो"

और

केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 के नियम 7(8) जिसमें विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "सभी प्रकार के विज्ञापनों में अशोभनीय, अश्लील, विचारों में उग्रता लाने वाले, अरुचिकर अथवा आपराधिक सिद्धांतों अथवा व्यवहार से बचा जाएगा" की ओर आकृष्ट किया जाता है।

3. उपर्युक्त के मद्देनजर, सभी टीवी चैनलों को कंडोम के विज्ञापनों का प्रसारण न करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये विज्ञापन विशेष आयु वर्ग के लोगों के लिए ही हैं और बच्चों के देखने के लिए अशिष्ट/अनुपयुक्त हैं। अतः, इन ऐसे विज्ञापनों का प्रसारण रात्रि 10:00 बजे और प्रातः 06:00 बजे के बीच ही किया जाए जिससे बच्चों के लिए इस प्रकार की सामग्री के प्रसारण से बचा जा सके और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 में अंतर्विष्ट प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में कोई भी विफलता होने पर उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।



(अमित कटोच)

निदेशक (बीसी)

दूरभाष: 23386394

(अमित कटोच)
(AMIT KATOCH)
निदेशक (बी.सी.) / Director (BC)
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
Min. of Information & Broadcasting
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

सेवा में,

सभी टीवी चैनल

.....जारी.....

प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. अध्यक्ष, समाचार प्रसारक संघ (एनबीए), मैनटैक हाउस, द्वितीय तल, सी-56/5, सेक्टर 62, नोएडा-201301.
2. अध्यक्ष, भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) 8-304, तृतीय तल, अंसल प्लाजा, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली-110049

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

महासचिव, एएससीआई, बी/717, औरस चेंबर्स मार्ग, वर्ली, मुंबई-400018 को दिनांक 24.08.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।



(अमित कटोच)

निदेशक (बीसी)

दूरभाष: 23386394

(अमित कटोच)
(AMIT KATOCH)
निदेशक (बी.सी.)/Director (BC)
सूचना एवम् प्रसारण मन्त्रालय
Min. of Information & Broadcasting
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi